(वाद संख्या–463/17)

16.07.2021

परिवादी, अरविन्द पासवान, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया गया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी के चालक अनुज्ञप्ति सं0–18965/98 के जिला परिवहन पदाधिकारी, गया द्वारा नवीकरण न किये जाने से संबंधित है।

परिवादी के परिवाद पत्र पर राज्य आयोग से नोटिस प्राप्त होन पर **जिला परिवहन पदाधिकारी, गया** द्वारा परिवादी को नोटिस निर्गत कर जिला परिवहन कार्यालय गया बुलाकर उसके नागालैण्ड राज्य से निर्गत उक्त चालक अनुज्ञप्ति का दिनांक–29.12.2024 तक के लिए नवीकरण कर दिया गया है। बाद में परिवादी की ओर से पुनः एक आवेदन देकर जिला परिवहन पदाधिकारी, गया को अपने चालक अनुज्ञप्ति का स्मार्ट कार्ड बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया जा रहा है।

परिवादी को यह सलाह दी जाती है कि जिस स्थान से उन्होंने चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त किया है उसी स्थान(नागालैण्ड) से विधिनुसार आवेदन देकर स्मार्ट कार्ड निर्गत करा सकते है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार, आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक